गोरखनाथ (भा०प्र०से०)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक— 163 /सी0 दिनांक— 20/07/2022

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

विषयः— **बिहार पुलिस हस्तक अधिनियम में वर्णित प्रावधानों तथा समय समय पर सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप थानों का निरीक्षण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि व्यवस्था संधारण तथा आम जनता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु बिहार पुलिस हस्तक नियमावली में जिला पदाधिकारियों को अपने जिला स्थित थानों का निरीक्षण किया जाना है। परंतु यह पाया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी द्वारा थानों का निरीक्षण सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

2. जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक—07.07.2022 को मुफ्फसिल थाना, कटिहार का निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह परिलक्षित हो रहा है कि थाना के थानाध्यक्ष जिला पदाधिकारी द्वारा थानों के निरीक्षण के प्रति संवेदनशील नहीं है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कटिहार जिला के मुफ्फसिल थाना, कटिहार के महिला हाजत का प्रयोग जब्त किये गये सामानों को रखने हेतु मालखाना के रूप में किया जा रहा है एवं बी0डब्लू0 / डी0डब्लू0 थाना में लम्बे समय से लंबित है परंतु उनके क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार की सम्यक कारवाई नहीं की जा रही है। उक्त स्थिति में यह आवश्यक है कि पुलिस अधीक्षक एवं वरीय पुलिस अन्य पदाधिकारी के साथ साथ जिला पदाधिकारी द्वारा भी समय समय पर थाना का निरीक्षण किया जाय।

3. अतः इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि हर माह सभी जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिला स्थित कम से कम एक थाना का निरीक्षण किया जाय एवं कृत कारवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,
20/7/22
आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।